Pension to freedom fighters of Marathwada area

*182. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the total number of applications received so far from the freedom fighters from Aurangabad, Jalana, Beed, Osmanabad, Nanded, Parbani and Latur in Marathwada area for the grant of pension;

(b) the number of those whose applications have been disposed of from each area stating the number of persons who have been granted freedom fighter's pension, separately;

(c) the number of applications pending for more than six months and one year, separately;

(d) what are the reasons for the delay in taking a decision thereon; and

(e) by when the pending applications are likely to be disposed of?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (e): A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Record of freedom fighters applying for central pension is not maintained districtwise.

Out of the applications received by the prescribed date, viz. 31-3-1982, which have still to be disposed of, only 5 applications are from the Marathwada area. In addition, 11 applications from this area received after the prescribed date are also pending. All these applications are over one-year old.

Of the 16 pending applications, 12 applications were required to be considered by the non-official Special Screening Committee, but it could not do so. In the remaining cases, documents submitted by the freedom fighters have to be verified by the State Government. It is not possible at this stage to say as to when the cases will finally be disposed of.

डा० बापू कालदाते : सभापति जी, यह बड़े दुःख की बात है कि गत छः साल मे मैं लगातार इस संबंध में प्रश्न पूछता आया हूं, लेकिन जिस कैलस एटीट्यूड से इस सवाल को देखा जाता है उससे बड़ा दुःख होता है । मैं तो स्वयं मानता हूं कि हम लोग जो इस सदन में बैठे हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं । उनकी इज्जत रखना, उनका गौरव रखना, उनकी शान रखना और उनका मान रखना हमारा फर्ज है, ऐसा मैं मानता हूं । इस दृष्टि मे गत छः साल मे हर सत्र में मेरा सवाल रहा है । मैं देखता हूं कि वह परटिकुलर बिभाग जो भी गृह मंत्रालय में स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक की तरफ देखने वाला है वह बहुत ही कैलम है। आज तक मुझे चिट्ठी का जवाब मंत्री जी से तो आता है, मत्री जी हमारे परम मित्र भी हैं, उनकी तरफ से तुरन्त आता है । (**व्यवधान**) . . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और जिनके वह मित्र नहीं हैं, उनके जवाब आते हैं ?

डा. बापू कालदाते : नहीं आया होगा । मेरे पास आता है । मैं यह नहीं कहता कि सबको आता है ।

अब मैं यह कहता हूं कि मैंने सवाल पूछा था कि कितनी टोटल एप्लीकेशन्स आई हैं और इसका जवाब ही नहीं । मेरा जो बुनियादी सवाल है कि हैदराबाद के हमारे मराठवाड़ा इलाके से कितने सैनिकों की एप्लीकेशन्स आई । अब जवाब क्या है, आगे से शुरू होता है कि 1982 तक के जो एप्लीकेशन्स आए इसमें से इतने बचे हैं। मैं कहता हूं कि इसके बारे में मंत्री महोदय कुछ करें । It hurts us.

हमें तो शर्म आती है इस बात को कहते हुए वे भीख मांगने के लिए नहीं लड़े थे, आजादी के लिए लड़े थे। आपने कहा है, सरकार ने कहा है कि इन लोगों के प्रति हमारा फर्ज है इसलिए हम कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। अगर यह फर्ज अदा करना है तो फर्ज के लिहाज से करना चाहिए और मुझे इस बात का दुःख है कि सरकार की तरफ से इसको जितनी गंभीरता से देखना चाहिए उतना वह नहीं देखती है। आप नौजवान मंत्री महोदय हैं, आप कोशिश करें और इसे ठीक करें।

मेरी आपसे दो ही गुजारिश हैं कि क्या यह सही है कि जो संख्या आपने दी है, वह सही है क्योंकि मैंने स्वयं आपके पास 12 नम्बर, 12 एप्लीकेशन्स भेजे, इसका मतलब है कि संख्या भी मुझे सही नहीं लगती है। इसलिए मैं आपसे पहला प्रश्न यह पूछूंगा कि इस हैदराबाद मुक्ति संग्राम के इस इलाके के जो लोग हैं, उनकी संख्या निश्चित करिए और यह न कहिए कि यह कारण है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि तकनीकी प्वाइंट्स पर उनको रिजेक्ट न करिए। दो बात मैं देख रहा हूं कि एक तो टैक्नीकल प्वाइंट पर रिजेक्ट करते हैं या बेबुनियाद आधार पर करते हैं। अब यह सिद्धान्त का इतना ही प्रश्न मैं पूछूंगा कि क्या सरकार इसके बारे में गंभीरता से जो कुछ भी आपके पास इन्फरमेशन है, वह सभापटल पर रखेगी? Neither on technical grounds nor on any flimsy grounds nor because of negligence whatever they deserve should not be taken away from them.

श्री सभापति : पहला सवाल तो बिल्कुल साफ है कि टोटल नम्बर कितना है? "ए" में साफ लिखा है, इसका जवाब तो आपको देना चाहिए।

डा० बापु कालदाते : नहीं दिया है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : सर, यह मराठवाड़ा क्षेत्र से ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : यह तो पहला ही सवाल है न।

श्री सुबोध कांत सहाय : 2178 मामले आए थे जिनमें से 53 मामलों को छोड़कर सबको पेंशन दी गई है और उन 53 मामलों में जिस तरह से कहा गया है...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : यह सुन रहे हैं आप।

श्री सुबोध कांत सहाय : 16 मामले, जिनके बारे में हमने लिखित उत्तर में दिया है, वह एक साल से लंबित हैं और कुछ मामले रिव्यू हैं। माननीय सदस्य डा० कालदाते जी ने हमें 12 केसों के बारे में बताया था, उसमें भी कार्रवाई की गई है। 12 में से 2 का स्वीकृति हो गई है। 10 के बारे में राज्य सरकार के साथ कुछ चीजों की जानकारी हासिल की जा रही है। मैं उससे अलग हटकर के, जो डा० बापू कालदाते जी ने कहा है, तो अध्यक्ष महोदय, हम तो आजादी के बाद पैदा हुए लोग हैं और यह ऋण हमारे जैसे लोगों के कंधों पर है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार एक ड्राइव चलाकर के और यह राज्य सरकारों के साथ जो इतना समय व्यतीत हो रहा है इन्फारमेशन कलेक्ट करने में, जिन-जिन राज्यों से लंबित सारे आवेदन हैं उसके लिए राज्यों में नई कमेटियां बनाकर के उन्हीं के द्वारा जो फैसला होगा उसको सरकार मान, इस दिशा में एक सोच है सरकारी स्तर का फैसला कराने का। हम चाहते हैं कि इस दफ्तर को, कार्यालय को बंद कर दिया जाए क्योंकि आजादी को इतने साल गुजर गए और अभी भी हम स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए रिव्यू के केसिज बहुत आ रहे हैं। जो अस्वीकृत कर दिए गए हैं, उसी के आधार पर फिर से रिव्यू के केसज आ जाते हैं जिससे कि एक सिलसिला चल रहा है। लेकिन पुराने। जो केस लंबित हैं, जिन्हें मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला है, ऐसे कसिज के

लिए एक ड्राइव फिर से चलाकर के हम सोचते हैं कि इसको पूरा किया जाए और हम यह करेंगे ।

श्री सभापति : इनका प्रश्न जो है वह मैं बता दूं । इनका प्रश्न विशेष रूप से हैदराबाद से संबंधित है । हैदराबाद का कुछ हिस्सा मराठवाड़ा बन गया है । दो जिल कर्नाटक में हैं । यहां के जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उनका बड़ा...

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Mr. Chairman, Sir, the Telengana freedom fighters also...

MR. CHAIRMAN: तेलंगाना में वही गवर्नमेंट है ना । तेलंगाना का गवर्नमेंट बैठी हुई है हैदराबाद I did not say the whole of Hyderabad State. But these two have gone into another State. One portion has gone to Maharashtra and another portion has gone to Karnataka. There the problem is because they did not get all the records and other things. So, something will have to be done. What about it? And so far as Nizam's palace is concerned, they were not considered freedom fighters. They were sent to jail on filmsy grounds. All that has happened. So, the Government will have to do something special so far as these poeple are concerned.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Mr. Chairman, Sir, my submission is....

MR. CHAIRMAN: Let him finish.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Mr. Chairman, Sir, my submis- of Telengana are pending before the hon. Minister.

MR. CHAIRMAN: I understand Telengana. Because of Telengana, you don't drive out the others.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, there is other important point.

MR. CHAIRMAN: This question is bout Marathwada.

डा. बापू कालदाते : सभापति जी, इन्होंने जो ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Don't bring in East Bengal. This is about Marathwada.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, is very important.

MR. CHAIRMAN: I say the East Bengal refugees are important. Freedom fighters are also important.

डा० बापू कालदाते : सभापति जी, इन्होंने अभी जो आश्वासन दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं । बहुत से ऐसे केसेज हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट यहां रेकमड़ करके भेज देती है । वहां भी एक स्क्रीनिंग कमेटी है, जिसके आजकल तुलसीदास जी जाधव जैसे बुजुर्ग फ्रीडम फाइटर चेयरमैन हैं । लेकिन यहां कुछ न कुछ टेक्नीकल बात उठाई जाती है । एक केस आपके सामने रखना चाहता हूं । यह सांगली का केस है । नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं । Late Vasant Dada Patil was a great freeedom fighter, whatever my differences might be with him.

वह अलग बात है । इन्होंने खुद लिखकर सरकार के पास उनकी सिफारिश भेजी कि वे स्वातंत्र्य सैनिक हैं, हमारे साथ थे राजीव गांधी के पास भेजी, यहां की सरकार के पास भेजी । इस सरकार से पहले की बात मैं कह रहा हूं, लगातार 6 साल से मैं इस बात के पीछे हूं । The point is, it is rejected. Why Records are not available.

But Sangli jail was burnt. हमने उनको लिखा कि सांगली जेल तो जला दी गई है, कहां से कागजात मिलेंगे । रत्ना पांडा, कुम्भा और वसंत दादा पाटिल जैसे फ्रीडम फाइटर्स इन सबों ने इनको रेकमेंड किया है, बट अल्टीमेटली इट इज रेजेक्टेड । यह क्या बात है तो मैं आपसे दरखवास्त करूंगा । कि हैदराबाद की स्क्रीनिंग कमेटी मे सारी

अप्लीकेशंस आ गई हैं, उनकी ओर से सारा काम हो गया है, अगर यह काम पूरा हो गया तो जो बचे हुए हैं तो उनको जरा तुरन्त पूरा करने का प्रयास करिये इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं यह मैं जानना चाहता हूं । ?

श्री सुबोध कांत सहाय : सभापति महोदय वह जो कमेटी थी, उसकी नौ बैठकें हुई । उसके बाद आपस में डिफरेंसेज हो गये जिससे लंबित जो अप्लीकेशंस थी उन पर कोई फैसला नहीं हो पाया है इसके चलते दो कमेटियों की, वेस्ट बंगाल फ्रीडम फाइटर कमेटी और हैदराबाद वाली कमेटी, इन दोनों कमेटियों की, बैठक होनी है और उनकी फिर से पुनर्गठित होना है क्योंकि आपस में डिफरेंसेज हो गये हैं इसलिये उनकी बैठक नहीं हो रही है । इसके चलते... (**व्यवधान**)... वह दूसरा चीज है । फैसला न होने का कारण यह है । जो माननीय सदस्य ने कहा है उसी दृष्टिकोण से कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनके ऊपर कोई बहस नहीं की जा सकती है, अगर ऐसे केसेज भी अभी तक लंबित हैं उनको प्राथमिकता देकर उनका करेंगे ।

श्री सभापति : उनके केसेज का सवाल नहीं है । दादा वसंतराव पाटिल और ऐसे लोग जिनको रेकमेंड कर, जो मान हुए हैं, जिनको दुनियां जानती है कि वे फ्रीडम फाइटर हैं, या हमारे हाउस के मेंबर्स जो हैं, वे जिनको बताएं, उनको तो आपको विशेष मान्यता देना चाहिऐ ।

श्री सुबोध कांत सहाय : वह करेंगे ।

श्री एस० बी० चव्हाण : सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं दो चीजों के बारे में जानकारी लेना चाहूंगा । जो पहले हैदराबाद फ्रीडम फाइटर की कमेटी थी, स्क्रीनिंग कमेटी थी, उसने केसेज रेकमेंड किये हैं कि उनको भी पेंशन दी जाये, ऐसे केसेज उन्होंने गवर्नमेंट के रेकमेंड करके भेजे हैं । लेकिन मेरी जानकारी यह है कि उनकी रेकमेंडेशन के बाद भी नये सिरे तरीके से उसकी स्क्रीनिंग फिर डिपार्टमेंट के अंदर शुरू हुई है ।

नहीं तो कमेटी को बर्खास्त करना चाहिये । अगर कमेटी रिकमेंड करती है और उसके बाद फिर से नये सिरे से उन्होंने ठीक रिकमेंड किया है या नहीं किया है यह काम शुरू होने वाला है तो जिन्दगी भर यह काम खत्म होने वाला नहीं है । इन में से कई फ्रीडम फाइटर्ज ऐसे हैं जो मरने के करीब हैं, ऐसे लोगों को वक्त पर अगर पेंशन नहीं देंगे तो पेंशन देने का जो मकसद है वह ही खत्म हो जाएगा । पहला सवाल तो मेरा यह है कि जिनके केसेज रिकमेंड हुए हैं उनको तो आप मंजूर कीजिए । दूसरा, मैं आप के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि आप फिर से नये तौर पर ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जिनके आवेदन अभी तक नहीं आए हैं यदि वह आवेदन करते हैं तो आप उनको देखने के लिए तैयार हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी मुकर्रर करेंगे या स्टेट गवर्नमेंट की कमेटी का जो फैसला होगा उस को आप मानेंगे ? इन दो सवालों पर मुझे आप जानकारी दीजिए ।

श्री सुबोध कांत सहाय : यह नीतिगत सवाल है जिसके ऊपर हमारी सोच है और इस पर हम फैसला कर के कहेंगे । दृष्टिकोण यही है कि जो लम्बित मामले हैं उनका निपटारा किया जाए । जहां तक नये लोगों का सवाल है यदि उनके आवेदन ठोस प्रमाण के साथ आते हैं तो उनको भी इंटरटेन किया जा रहा है और हम कंसीडरेशन कर रहे हैं । कमेटी के नियोजन के संबंध में जैसे कि मैंने कहा कि उसमें अपनी एक राय बना करके यह सोचा है कि इनके निपटारे के लिए राज्यों में कमेटीज का पुनर्गठन कर दिया जाए, इसके बारे में अभी नहीं कहना चाहता हूं ।

श्री एस० बी० चव्हाण : पहले सवाल का जवाब अभी मुझे नहीं मिला कि जो केसेज रिकमेंड हुए हैं उनको पेंशन इश्यू क्यों नहीं हो रही है ?

श्री सुबोध कांत सहाय : सभापति महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन बहुत से केसेज में बोगस केसेज हुये हैं। कमेटी के पूरे केसेज के बारे में तो नहीं, इसलिए मंत्रालय अपना एक व्यू लेता उसको किस तरह से आसान किया जाए, यह दृष्टिकोण है। उसको किस तरह से आसान तरीका किया जाए, यह दृष्टिकोण है।

श्री सभापति : कमेटी में तो आपने फ्रीडम फाइटर्स रखे हैं यह तो उन की बेइज्जती है कि आपका सेक्रेटरी बैठकर, अफसर बैठकर रिजेक्ट कर दे।

श्री सुबोध कांत सहाय : मैं इस सवाल को टच नहीं कर रहा था लेकिन यह भी हकीकत है कि ऐसे लोग भी हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं उनको भी पैंशन मिल गई है, यह दुर्दशा है।

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. UPENDRA): Freedom fighters should be above 60. Below 60 have also been recommended.

श्री सीताराम केसरी : यह बात ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आजादी मिलने के बाद पैदा हुए हैं उनको भी पेंशन मिल गई है। इसलिए उसकी स्क्रूटिनी और स्क्रीनिंग होनी चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन : मंत्री महोदय मराठवाड़ा की समिति के ऐसे नाम सदन के सामने रखें जो आजादी के बाद पैदा हुए और समिति ने रिकमेंड किये हैं। **(व्यवधान)** नहीं तो समिति पर आरोप होगा। अगर समिति ने रिकमेंड किया है तो उसका यह अर्थ होगा उस समिति पर आरोप होगा जो स्वतंत्रता सेनानियों की बनी है।

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Mr. Chairman, Sir, the Minister in his reply has stated that the State Governments are to verify but I find many cases in Andhra Pradesh which are recommended by the State Government, but not yet cleared. They were all expected to be cleared by November 1989 by the previous Government, but it did not come up. There were still 285 pending applications as per the Home Minister of the National Front Government's announcement. They are all to be cleared. Many more freedom fighters who had not applied earlier but who had actually participated, they were applying later. The difficulty was that in the intial stages they were hesitant to draw bonus for their patriotism. They were hesitant and so they did not apply earlier. But they are very aged now, 70 or above 70 years. They are in difficulties.

MR. CHAIRMAN: He has already said that he will consider their cases.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: If a new Committee is set up, it will have to be expedited. Will the hon. Minister do that?

श्री सुबोध कांत सहाय : मैंने तो कहा है कि अभी भी जो इस तरह के आवेदन हैं उनको कंसीडर किया जाएगा और लम्बित मामलों का पूरी तरह से जल्दी-जल्दी फैसला लिया जाए इसके लिए कमेटी की दिशा में सोच रहे हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : टाइम बाउंड प्रोग्राम दीजिए कि कितने दिनों तक किया जायेगा ?

श्री सुबोध कांत सहाय : टाइम बाउंड प्रोग्राम की बात नहीं है। जमा मैंने कहा कि इस मंत्रालय की जो उपयोगिता है, इसकी जो जिम्मेदारी है वह ही पूरी हो जाए।

SHRI P. K. KUNJACHEN: There are cases where pension has been received by them from the State Government. When they apply to the State Government, an enquiry is conducted to see whether their cases are genuine. Similarly, when the cases are coming to the Centre, is any

a

enquiry conducted by the Central Government? (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You please sit down. I have called Mr. Gurudas Das Gupta.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The point is very simple. After the new Government came into office I met the Home Minister at least half a dozen times at his residence and in his office in Parliament House. My point is, there was an armed struggle that was conducted in princely Hyderabad State for integration of erstwhile states within the Indian Union. Subsequently, it had been decided that those who had participated in the armed struggle would be given the same benefit as that of political pensioners. Some of them have been given pension, but a large number of them have not been given. I spoke to the Home Minister. He showed the same urgency. He said that it should be done. Even the Home Minister discussed with us the composition of a committee that would be set up for granting political pension to the people, who have so far not received. Unfortunately, months have passed, but nothing has been done. My point is that it is not a posthumous gallantry award. If the Government considers that it is a posthumous gallantry award for the people who are participating in the freedom struggle, the young Minister who was born after the freedom is definitely mistaken. You should give them little financial assistance. If you take that amount of time, then it is meaningless. My point is, is the Minister aware that the composition of a committee for granting political pension to those who had taken part in armed struggle in Telengana was under Government's consideration? Secondly, has the Government decided to constitute the Committee? If so, what is the Committee? If the Government has not decided to set up the commitee, what is the concrete time frame, not a mere pious desire, within which the committee will be set up and the pending aplications will be dsposed of?

श्री सुबोध कांत सहाय : सभापति महोदय, कमेटी अभी बनायी गयी है इसकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन यह बात सही है जो मैं कह रहा हूं कि इन सारे मामलों पर एक समय अवधि के तहत फैसला लिया जायेगा वह समय अवधि मैं अभी बताना नहीं चाहता, तकनीकी सवालों का जवाब नहीं देना चाहता लेकिन जो सदन की भावनाएं हैं उन भावनाओं को रखते हुए जल्दी से जल्दी उसका निराकरण किया जयेगा।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I want your protection. Sir, The point is, the Home Minister had promised and he said that a decision had been taken. He does not know about that.

MR. CHAIRMAN: He says that he will look into it.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: How long will they take? He is merely saying that जल्दी किया जायेगा। It is not enough. It had been under active consideration of the Government. His senior colleague had said it.

MR. CHAIRMAN: I cannot force him to give the date.

श्री सुबोध कांत सहाय । मैं कह रहा हूं इनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए जल्दी कार्रवाई करके इनको अवगत कराया जायेगा।

श्री रजनी रंजन साहू : (व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Question No. 183. (*Interruptions*). Anything said without my permission will not go on record. Hon. Member not there. Question No. 184.

*183. [The questioner (*Shri Ghufran Azam*) was absent. *For answer* vide *col. infro*].